दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–110

(1) धारा 110 :– आदतन/स्वभाववश आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति
(2) कौन दंडाधिकारी कार्यवाही कर सकता है
(3) प्रक्रिया
(4) कार्यवाही की प्रक्रिया और चरण
(5) कारण बताओ का नोटिश

{1} धारा 110 :–

आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति :–

जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह इत्तिला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो –

(क) अभ्यासतः लुटेरा, गृहभेदक, चोर या कूटरचयिता है, अथवा
(ख) चुराई हुई सम्पत्ति का उसे चुराई जानते हुए, अभ्यासतः प्रापक है, अथवा
(ग) अभ्यासतः चोरों की संरक्षा करता है या चोरों को संश्रय देता है या चुराई हुई सम्पत्ति को छिपाने या उसके व्ययन में सहायता देता है, अथवा
(घ) व्यपहरण, अपहरण, उद्दापन, छल या रिष्टि का अपराध या भा॰ दं॰ सं॰ (1860 का 45) के अध्याय 12 के अधीन या उस संहिता की धारा 489–क, धारा 489–ख, धारा 489–घ के अधीन दंडनीय कोई अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेषण करता है, अथवा
(ङ॰) ऐसे अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेषण करता है, जिनमें परिशान्ति भंग समाहित है, अथवा
(च) कोई ऐसा अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेषण करता है जो–

(I) निम्नलिखित अधिनियमों में से एक या अधिक के अधीन कोई अपराध है, अर्थात

(क) औषधि का प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940
(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973
(ग) कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952,
(घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954,
(ङ॰) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
(च) अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955
(छ) सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962, या

(II) जमाखोरी या मुनाफाखोरी अथवा खाद्य या औषधि के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण के लिए उपबन्ध करनेवाली किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई अपराध है, या

(छ) ऐसा दुःसाहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है,

तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबन्धित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि यह कारण दर्शित करे कि तीन वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझता है, उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभुओं सहित बन्धपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाय।

{2} <u>उद्देश्य</u> :–

इस धारा का मूल उद्देश्य यह है कि भविष्य के अपराध को रोकना न कि कानून के लिए सजा देना है। इसका उद्देश्य समाज को खतरनाक चरित्र जो अपराध की तैयारी में है उससे रोकना है।

– {इम्परर ब० विजय दत्ता झा, ए.आई.आर. 1948 नाग० 28}

{3} <u>प्रक्रिया</u>

धारा 110 की कार्यवाही पर दो आदेश (1) धारा 111 के अधीन प्रारंभिक आदेश, (2) धारा 116(1) की जाँच के बाद धारा 117 के अधीन अंतिम आदेश पारित होना आवश्यक है। धारा 111 के आदेश के बिना पारित धारा 117 के अधीन अंतिम आदेश अवैध है।

{प्रेम सागर बनाम कर्नाटक राज्य 1978 क्रि॰ ला॰ ज॰ (एन॰ ओ॰ सी॰) 16 कर्ना॰}

जाँच यथासाध्य धारा 116(2) के अनुसार समन मामलों के विचारण के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

{4} <u>कार्यवाही की प्रक्रिया और चरण {Procedure and stages}</u>

प्रथम स्तर, प्राथमिक आदेश का है जो कारण बताओ नोटिश के रुप में होता है जिसमें धारा 111 की सूचना का सार संक्षेप लिखा रहता है तथा उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। (धारा 112–114)

अंतिम स्टेज वास्तविक जाँच पड़ताल है {धारा 116–117} जाँच पड़ताल की कार्यविधि सम्मन केस की तरह धारा 116(2) की प्रक्रियानुसार होगा।

{5} <u>कारण बताओ का नोटिश</u>

धारा 107, 108, 109, 110 के अधीन कारवाई प्रारंभ करने से पहले दंडाधिकारी को सूचना अवश्य निर्गत करनी चाहिए। प्रत्येक धारा के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध सूचना निर्गत होने पर दंडाधिकारी उससे कारण बताओ पूछ सकता है। दंडाधिकारी अपने तरीकों की खोज नहीं कर सकता है। दंडाधिकारी संबंधित व्यक्ति से इस धारा के अधीन कारण बताओ नोटिश जारी करने से पहले

अन्वेषण नहीं कर सकता। यह दंडाधिकारी की जिम्मेवारी है कि जनता की शांति एवं सुरक्षा कायम रखे। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग कर, पुलिस जांच से प्राप्त सूचना के आधार पर कारण बताओ निर्गत करने हेतु वह सक्षम है। लेकिन जब वह आदेश निर्गत करता है तो आदेश धारा 111 के जाँचों को संतुष्ट करता है। धारा 111 की सूचना दोहरी जाँच को संतुष्ट करता हो। प्रथम तो यह कि जिसके विरुद्ध सूचना जारी की जाती हो, उसके विरुद्ध की सभी सूचनाओं का उल्लेख हो। दूसरी बात यह है कि दंडाधिकारी स्वयं संतुष्ट हो जाय कि परिस्थिति कारण बताओ नोटिश जारी करने लायक है। {अ॰ येद्दियार बनाम पुलिस इंस्पेक्टर 1984 आई॰ डब्लू॰ क्रि॰ 112 मद्रास, 1984 मद्रास आई॰ आई॰ क्रि॰ 186}

{6} <u>अपील तथा पुनरीक्षण</u> :–

धारा 373 के अधीन अपील सेशन न्यायाधीश के यहां की जा सकती है। किन्तु जब सेशन न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही धारा 122 के अधीन रखी जाती है तब विपक्षी को अपील का अधिकार नहीं है तथा अपील–न्यायालय पुनः सुनवाई के आदेश दे सकता है। *{1955 क्रि॰ ला॰ ज॰ 565}*